रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 7, 1968/भाद्र 16, 1890

No. 176] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 7, 1968/BHADRA 16, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September 1968

No. RS 1/3/68-L.—The following order by the President, dated the 4th September, 1968, is published for general information:

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Rajya Sabha.

ZAKIR HUSAIN,
President."

The 4th September, 1968.

B. N. BANERJEE, Secy

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर 1968

संख्या आर० एस० 1/3/68—एल–राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश दिनांक 4 सितम्बर 1968 आम सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतत् द्वारा राज्य सभा का सत्रावसान करता हूं।"

4 सितम्बर 1968।

जाकिर हुसैन,
राष्ट्रपति।"

बी० एन० बनर्जी सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968